मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा विभागाध्यक्षों आदि को सम्बोधित परिपत्र क्रमांक 3261-6 जी0 एस0व-7314142 दिनांक 5-6-1973 की प्रति ।

विषय :—सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने सेवा सम्बन्धी मामलों के बारे में हरियाणा लोक सेवा आयोग/अधीन सेवायें प्रवरण मण्डल के सदस्यों आदि को पहुंच करना ।

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान दिलाऊं और कहूं कि सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियमावली, 1966 के नियम 20 में यह व्यवस्था है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने सरकारी सेवा सम्बन्धी मामलों के लिये अपने किसी प्रवर अधिकारी पर कोई राजनैतिक या अन्य प्रभाव नहीं डलवायेगा और न ही डलवाने का प्रयत्न करेगा । हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 3598-5 जी0 एस0-68/18551, दिनांक 22-7-68 की हिदायतों द्वारा (जिन्हें परिपत्रों दिनांक 20-8-71 तथा 30-3-73 द्वारा दोहराया भी गया है) उपरोक्त नियमों की व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाया गया था व कहा गया था कि सरकारी कर्मचारियों को मन्त्रियों, विधान सभा के सदस्यों तथा पब्लिक के दूसरे प्रभावी सदस्यों से अपनी नियुक्ति, बदली और दूसरे सेवा सम्बन्धित मामलों में सिफारिश नहीं करवानी चाहिए और जो कर्मचारी ऐसा करेंगे वे अनुशासनिक कार्यवाही के भागी होंगे । सरकार के नोटिस में एक केस आया है कि जिसमें एक सरकारी अधिकारी ने अपने सेवा सम्बन्धी केस के बारे में हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य को स्वयं पहुंच की थी तथा जब उसे इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया तो उसने उत्तर में यह लिखा कि वह तो स्वयं आयोग के सदस्य को अपना केस पलीड करने के लिए मिला था तथा उसने उपरोक्त हिदायतों की उल्लंघना नहीं की है । हिदायतों की उल्लंघना तो तब होता यदि वह अपने केस के बारे में किसी मन्त्री/विधान सभा के सदस्य आदि द्वारा पहुंच करवाता ।

2. इस बारे में एक सामहिक नीति बनाने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है और यह निर्णय लिया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने सेवा सम्बन्धी केसों के बारे में हरियाणा लोक सेवा आयोग/अधीन सेवायें प्रवरण मण्डल के अध्यक्ष तथा सदस्य को न ही तो किसी मन्त्री/विधान सभा सदस्य आदि से सिफारिश करवायेगा और न ही वह स्वयं सदस्य को मिलेगा । यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी आयोग/मण्डल के सदस्य को मिलने की चेष्टा करता है तो सम्बन्धित अध्यक्ष अथवा सदस्य को चाहिये कि वह उसे मिलने से इन्कार कर दे तथा उसकी रिपोर्ट सम्बन्धित विभाग को भेज दें ।

3. इसके साथ-साथ यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी का सेवा सम्बन्धी केस मुख्य सचिव के कार्यालय, वित्त विभाग, विधि विभाग अथवा अन्य किसी विभाग में मन्त्रणा के लिये गया हुआ हो तो सम्बन्धित कर्मचारी उपरोक्त विभागों के सम्बन्धित अधिकारियों को सीधा नहीं मिलेगा । यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने केस के बारे में सम्बन्धित अधिकारी से मिलना चाहता है तो राजपत्रित कर्मचारी के केस में सम्बन्धित प्रशासकीय सचिव तथा अराजपत्रित कर्मचारी के कस में सम्बन्धित विभाग अध्यक्ष की लिखित अनुमति के साथ ही कर सकता है ।

4. आपसे अनुरोध किया जाता है कि इन हिदायतों का भविष्य में कठोरता से पालन किया जाये व इन हिदायतों को अपने अधीन कार्य कर रहे सभी सम्बन्धित कर्मचारियों के ध्यान में ला दिया जाये कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी इन हिदायतों की उल्लंघना करेगा तो वह अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि सरकार के ध्यान में कोई भी ऐसा केस आया जिसमें कि इन हिदायतों की उल्लंघना की गई हो और सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/प्रशासकीय सचिव ने अनुशासनिक कार्यवाही न की हो तो इसका भी गम्भीर नोटिस लिया जायेगा । कृपया इस पत्र की पावती भी भेजी जाये ।

हस्ता/-
उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाऐं
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।